शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

मा0 मुख्यमंत्री संदर्भ

प्रेषक,

अपर परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव
शिक्षा अनुभाग–5
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांकः गुण0वि0/मुख्यमंत्री लम्बित संदर्भ/9541/2014–15 दि0 11 सितम्बर, 2014

विषयः–**पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में प्रत्येक बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 केन्द्रों पर नये सिरे से सह–समन्वयकों के चयन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, उ0प्र0 के लम्बित प्रकरणों की सूची दिनॉक 09 सितम्बर, 2014 के कम्प्यूटर संदर्भ संख्या–PG10476410 दिनॉक 10 जुलाई, 2014 के साथ संलग्न श्री जय प्रकाश अंचल, मा0 सदस्य, विधान सभा एवं सदस्य, प्राक्कलन समिति, विधान सभा, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनॉक 01 जुलाई, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मॉग की गयी है कि वर्तमान समय में कार्यरत ब्लाक संसाधन केन्द्र सह–समन्वयकों का चयन पूर्व सरकार के समय किया गया था। अतः इन सह–समन्वयकों का नवीनीकरण न किया जाये तथा नवीन चयन हेतु शासनादेश जारी किया जाये।

सूच्य है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों को प्रभावी रूप से शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु न्याय पंचायत एवं विकास खण्ड स्तर पर संसाधन केन्द्र स्थापित हैं। "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" के परिप्रेक्ष्य में इन संसाधन केन्द्रों की व्यवस्था को शासनादेश संख्या–3903/79–5–2010–424/02टी.सी. दिनॉक 02 फरवरी, 2011 द्वारा पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठित व्यवस्था में यह प्राविधान है कि "विकासखण्ड संसाधन केन्द्र के सह–समन्वयकों का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा और कार्य संतोषजनक होने पर 03 वर्ष के कार्यकाल की अवधि जिलाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त ही बढ़ाई जा सकेगी। 06 वर्ष की सेवा के उपरान्त पुनः नवीन चयन किया जायेगा।"

दूरभाषः 2780995 फैक्सः 0522-2781123, 2780998 ई–मेलः spdup@rediffmail.com; upefaspo@gmail.com वेब–साइटः www.upefa.com

सम्प्रति ब्लाक संसाधन केन्द्र सह–समन्वयकों के नवीनीकरण की कार्यवाही शासनादेश संख्या–3903/79–5–2010– 424/02टी.सी. दिनॉक 02 फरवरी, 2011 के अनुपालन में की जा रही है तथा इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। ऐसी दशा में वर्तमान समय में कार्यरत सह–समन्वयकों का नवीनीकरण रोकना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीया,

डॉ0(शुभ्र ज्योत्सना त्रिपाठी)
अपर परियोजना निदेशक